

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २५ सन् २०१७

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-४) विधेयक, २०१७

वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-४) अधिनियम, २०१७ है.

संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये पन्द्रह हजार पांच सौ छप्पन करोड़ नवासी लाख दो हजार तीन सौ नित्यानवे होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

वित्तीय वर्ष २०१७-१८ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १,५५,५६,८९,०२,३९९ का दिया जाना.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिये प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिये विनियोजित की जाएंगी.

विनियोग.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपयों में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये
०१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व ७१,६३,००,००० पूँजी २१,१५,१५,४३३	० ०	७१,६३,००,००० २१,१५,१५,४३३
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व ३,६१,००,०००	०	३,६१,००,०००
०३.	पुलिस	राजस्व १,६१,३३,५९,०००	०	१,६१,३३,५९,०००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व १,८३,४५,०००	०	१,८३,४५,०००
०८.	भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व ३,३७,५०,०००	९१,९०६	३,३८,४१,९०६

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
१०.	वन	राजस्व	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	राजस्व	१,०१,००,००,०००	०	१,०१,००,००,०००
१२.	ऊर्जा	राजस्व	१५,००,००,०००	०	१५,००,००,०००
		पूंजी	१४,०९,१६,००,३००	०	१४,०९,१६,००,३००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	४०,००,००,००,१००	०	४०,००,००,००,१००
१८.	श्रम	राजस्व	२,३४,५०,२००	०	२,३४,५०,२००
१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	२५,००,०१,६००	०	२५,००,०१,६००
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	१००	०	१००
२२.	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	राजस्व	१०,४९,००,००,२००	०	१०,४९,००,००,२००
		पूंजी	२००	०	२००
२३.	जल संसाधन	पूंजी	३,७००	०	३,७००
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	६,५०,००,००,८००	०	६,५०,००,००,८००
२५.	खनिज साधन	राजस्व	१००	०	१००
		पूंजी	१००	०	१००
२६.	संस्कृति	राजस्व	२४,०३,००,२००	०	२४,०३,००,२००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
२७.	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)			
	पूंजी	२९,००,००,०००	०	२९,००,००,०००
२८.	राज्य विधान मंडल			
	राजस्व	२१,००,०००	०	२१,००,०००
२९.	विधि और विधायी कार्य			
	राजस्व	१,१६,५०,९००	६,७१,४६,५६०	७,८७,९७,४६०
३०.	ग्रामीण विकास			
	राजस्व	१,३२,००,०१,०००	०	१,३२,००,०१,०००
	पूंजी	१,००,००,००,०००	०	१,००,००,००,०००
३१.	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी			
	राजस्व	१२,४७,६७,१००	०	१२,४७,६७,१००
३२.	जनसंपर्क			
	राजस्व	७५,००,००,०००	०	७५,००,००,०००
३३.	आदिम जाति कल्याण			
	राजस्व	१,००,९४,४७,०००	०	१,००,९४,४७,०००
	पूंजी	६,०७,२७,५६,१००	०	६,०७,२७,५६,१००
३५.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम			
	पूंजी	१०,५०,००,०००	०	१०,५०,००,०००
३६.	परिवहन			
	राजस्व	१००	०	१००
३७.	पर्यटन			
	पूंजी	१३,५५,८७,०००	०	१३,५५,८७,०००
३८.	आयुष			
	राजस्व	३००	०	३००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण			
	राजस्व	१९,५५,००,०००	०	१९,५५,००,०००
४०.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)			
	राजस्व	१००	०	१००
	पूंजी	१५,००,००,१००	०	१५,००,००,१००

